

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- विकास मोहन भाटी, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या: 45/2023 दायर दिनांक 02.02.2023

वादी

- मुनीर खां पुत्र अमीर खां जाति शैरानी निवासी शैरानी आबाद तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

प्रतिवादीगण

- अली मोहम्मद पुत्र अमीर खां
- जफरुद्दीन पुत्र अमीर खां
- मनोहरदीन पुत्र अमीर खां
- मोहम्मद शरीफ पुत्र अमीर खां
- मोहम्मद हनीफ पुत्र अमीर खां
- रफिक पुत्र अमीर खां
- लुकमान पुत्र अमीर खां
- गनी खां पुत्र लाल खां
- सिलमुदीन पुत्र चान्द खां
- उमरदीन पुत्र चान्द खां
- अलाउद्दीन पुत्र चान्द खां
- दीनमोहम्मद पुत्र चान्द खां
- समाउद्दीन पुत्र चान्द खां
- लियाकत अली पुत्र चान्द खां
- जोरा पुत्री चान्द खां
- मदिना बानों पुत्री चान्द खां
- अफजल बानों पुत्री चान्द खां
- जैना पुत्री चान्द खां
- मकसुदा पुत्री चान्द खां
- रुकसाना बानों पुत्री चान्द खां
- फातमा पत्नी चान्द खां समस्त जाति शैरानी निवासीगण शैरानी आबाद तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
- तहसीलदार डीडवाना।

बनाम्

दावा बाबत्

बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा- 53, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

- श्री मो. शरीफ शैरानी वकील वादी।
- श्री मो. रफिक वकील प्रतिवादीगण संख्या 1, 4 ता 6, 8 ता 13, 15 ता 21।

--: अन्तिम निर्णय ::-

दिनांक 13.10.2025
वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि मौजा सरहद शैरानी आबाद, पटवार हल्का शैरानी आबाद के खेत खसरा सं0 253 रकबा 0.2600 है0, खसरा सं0 253/1090 रकबा 0.2500 है0, खसरा सं0 254 रकबा 0.2500 है0, खसरा सं0 295 रकबा 1.1400 है0, खसरा सं0 296 रकबा 1.9000 है0, खसरा सं0 1385/297 रकबा 1.2300 है0 भूमि नजरी नक्शा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के खता विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनांक 05.09.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार छोटीखाटू को निर्देश दिया गया।

Wes

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

तहसीलदार छोटी खाटू ने अपने पत्रांक: भू.अ./2025/1274 दिनांक 24.07.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार छोटी खाटू द्वारा प्रस्तावित बंटवारा पर बहस पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार छोटी खाटू सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार छोटी खाटू के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: भू.अ./2025/1274 दिनांक 24.07.2025 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :-

-: आदेश :-

राजस्व ग्राम सरहद शैरानी आबाद, पटवार हल्का शैरानी आबाद के खेत खसरा सं० 253 रकबा 0.2600 है०, खसरा सं० 253/1090 रकबा 0.2500 है०, खसरा सं० 254 रकबा 0.2500 है०, खसरा सं० 295 रकबा 1.1400 है०, खसरा सं० 296 रकबा 1.9000 है०, खसरा सं० 1385/297 रकबा 1.2300 है० भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार छोटी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: भू.अ./2025/1274 दिनांक 24.07.2025 में वर्णितानुसार भूमि का पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं।

तहसीलदार छोटी खाटू का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: भू.अ./2025/1274 दिनांक 24.07.2025 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

Wkas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 13.10.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

Wkas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना